पी० के० रॉय मेमोरियल कॉलेज, धनबाद

छात्रों का अध्ययन और शिक्षा के कोड पर अध्ययन मानक प्रक्रियाओं के साथ

1. पहले

यह हैंडबुक विभिन्न पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए कॉलेज के साथ दाखिला लेने वाले सभी छात्रों के लिए भारतीय विज्ञान महाविद्यालय (इसके बाद 'कॉलेज' के रूप में संदर्भित) की मानक प्रक्रियाओं प्रथाओं को इंगित करता है। सभी छात्रों को पता होना चाहिए कि इस आचार संहिता और आचार संहिता का पालन करना उनके लिए अवलम्बी है (बाद में इसे 'सहिंता' कहा जाता है) और अधिकारों, जिम्मेदारियों जिसमे से बहने वाली प्रतिबन्ध भी शामिल है।

इस संहिता को लागू करने के माध्यम से कॉलेज का प्रयास अग्रणी और छात्र अनुशासन प्रक्रिया का प्रबंधन करना है जो समतावादी, कर्तव्यनिष्ठ प्रभावशाली और समीचीन हो ; और एक प्रणाली प्रदान करना जो व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी के माध्यम से छात्र विकास को बढ़ावा देता है।

सभी छात्रों से अनुरोध है कि इस कोड के साथ अच्छी तरह से बातचीत करें, जिसकी समीक्षा कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर भी की जा सकती है।

2. अधिकार - क्षेत्र

2.1 कॉलेज के साथ जुड़े / नामांकित छात्रों के आचरण और कदाचार के सभी कृत्यों का संज्ञान लेने के लिए क्षेत्राधिकार होगा। समेत रैगिंग की घटनाएं या अन्यथा जो कॉलेज परिसर में या कॉलेज से सम्बंधित गतिविधियों और कार्यों के सम्बन्ध में हो रही है।

2.2 कॉलेज उस आचरण पर भी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है, जो आदर्श छात्र आचरण और अनुशासन का उल्लंघन करता है, जैसा कि इस नीति और अन्य विनियमों में निर्धारित किया गया है, जैसे कि परिसर में आचरण हुआ है जिसमें शामिल होगा

(—) कॉलेज के अन्य छात्रों के खिलाफ कॉलेज की यौन उत्पीड़न नीति का कोई भी उल्लंघन।

(二) शारीरिक हमला, हिंसा की धमकी, या आचरण जो कॉलेज के अन्य छात्रों सहित किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा है;

(三) हथियारों, विस्फोटकों, या विनाशकारी उपकरणों को बंद परिसर में रखने या उपयोग करने का

(四) निषिद्ध दवाओं, शराब आदि का निर्माण, बिक्री या वितरण।

(五) आचरण जो कि नकारात्मक प्रभाव डालता है या आसपास के ऑफ - कैम्पस समुदाय के सदस्यों के लिए एक उपद्रव का गठन करता है।

कॉलेज यह निर्धारित करते हुए कि ऊपर उल्लिखित स्थितियों में इस तरह के ऑफ - कैम्पस क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना या न करना, कॉलेज कथित अपराध की गंभीरता पर विचार करेगा, नुकसान के जोखिम, चाहे पीड़ित (स) परिसर के सदस्य हों समुदाय और / या क्या ऑफ कैम्पस दोनों में हुए है।

3. नैतिकता और आचरण

3.1 यह कोड उन सभी प्रकार के छात्रों पर लागू होगा जो कॉलेज परिसर में विश्वविद्यालय प्रायोजित गतिविधियों, अन्य मान्यता प्राप्त छात्र संगठनों द्वारा आयोजित कार्यों और किसी भी ऑफ - कैम्पस आचरण में शामिल हैं या कॉलेज के गंभीर परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। रूचि या प्रतिष्ठा।

3.2 प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र को इस संहिता को स्वीकार करने और और एक वचन देकर एक कथन पर हस्ताक्षर करना चाहिए

(一) वह नियमित रूप से कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करेगा।

(二) घटना में, किसी छात्र को किसी भी वैध कारण के लिए पढ़ाई बंद करने के लिए मजबूर किया जाता है, इस तरह के एक छात्र को कॉलेज प्राधिकरण से पूर्ण प्राधिकारी की लिखित सहमति से रहत मिल सकती है।

(三) इस तरह की राहत के परिणामस्वरूप, छात्र को लंबित क्लीयर करने की आवश्यकता होगी और यदि छात्र छात्रवृति पर कॉलेज में शामिल हो गया है, तो उक्त अनुदान को निरस्त कर दिया जाएगा।

3.3 कॉलेज व्यवहार मानकों को लागू करके एक सुरक्षित और कुशल जलवायु को बढ़ावा देने में विश्वास करता है । सभी छात्रों को शैक्षणिक अखंडता को बनाए रखना चाहिए, सभी व्यक्तियों और उनके अधिकारों और संपत्ति और दूसरों की सुरक्षा का सम्मान करना चाहिए; आदि।

3.4 सभी छात्रों को किसी भी गतिविधि के परिसर में भाग लेने सहित कदाचार के सभी रूपों और कदाचार से रोकना चाहिए जो कॉलेज के हितों और प्रतिष्ठा को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं । कदाचार के विभिन्न रूपों में शामिल हैं:

3.5 का कोई कार्य भेदभाव (शारीरिक या मौखिक आचरण) किसी व्यक्ति के लिंग, जाती नस्ल, धर्म या धार्मिक, मान्यताओं, रंग क्षेत्र, भाषा, विकलांगता, या यौन अभिविन्यास, वैवाहिक या पारिवारिक स्थिति, शारीरिक या मानसिक विकलांगता, लिंग पहचान आदि के आधार पर।

3.6 कॉलेज की संपत्ति या अन्य छात्रों और / या संकाय सदस्यों की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुँचाना या नष्ट करना।

3.7 किसी भी कमरे में या कॉलेज द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम में कोई विघटनकारी गतिविधि।

3.8 कॉलेज द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र का उत्पादन करने में असमर्थ, या परिसर के सुरक्षा गार्डों द्वारा मांग करने पर इसका उत्पादन करने से इनकार करना।

3.9 सहित गतिविधियों में भाग लेना।

3.9.1 कॉलेज की अनुमति के बिना बैठकों और जुलूसों का आयोजन करना ।

3.9.2 कॉलेज / भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित धार्मिक या आतंकवादी समूहों की सदस्यता स्वीकार करना।

3.9.3 किसी भी हथियार, गोला - बारूद, विस्फोटक या संभावित हथियार, आतिशबाजी, कानून या नीति के विपरीत, अनधिकृत कब्ज़ा, उपयोग ।

3.9.4 अनधिकृत कब्जे या हानिकारक रसायनों और प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग।

3.9.5 कॉलेज के परिसर में धूम्रपान।

3.9.6 कॉलेज में शराब बेचना, उपभोग करना, वितरण करना और कॉलेज के परिसर में खाली बोतलें फेंकना या फेंकना ।

3.9.7 अन्य प्रकार के वाहनों की पार्किंग के लिए नो पार्किंग जॉन में या क्षेत्र में वाहन पार्क करना।

3.9.8 कैम्पस में रैश ड्राइविंग जो दूसरों के लिए किसी भी असुविधा का कारण हो सकता है ।

3.9.9 मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थिति या तो शारीरिक या मनोवैज्ञानिक का खुलासा नहीं करना, जो शैक्षणिक प्रगति में बढ़ा उत्पन्न कर सकता है ।

3.9.10 अन्य संसाधनों की चोरी या अनधिकृत पहुंच।

3.9.11 छात्रसंघ चुनाव के समय या कॉलेज की किसी गतिविधि के दौरान दुर्व्यवहार ।

3.9.12 अव्यस्थित, भद्दा, या अशोभनीय आचरण में संलग्न, सहित लेकिन तक सीमित नहीं, अनुचित शोर पैदा करना; धक्का और shoving; कॉलेज में दंगा या सामूहिक विघटन में भाग लेना।

3.10 छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे कॉलेज की ओर से मिडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत न करें या कॉलेज के अधिकारियों की अनुमति के बिना मीडियाकर्मियों को परिसर में आमंत्रित करें।

3.11 छात्रों को पूर्व अनुमति के बिना कक्षा के कमरे या अन्य छात्रों, शिक्षकों या कर्मचारियों के कार्यों में ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड व्याख्यान देने की अनुमति नहीं है।

3.12 छात्रों को पूर्व अनुमति के बिना मिडिया को परिसर में किसी भी गतिविधि के ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग प्रदान करने कीअनुमति नहीं है।

3.13 छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे सोशल मिडिया का सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी से उपयोग करें। वे सोशल मिडिया पर कॉलेज के अन्य व्यक्तियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट नहीं कर सकते हैं या कॉलेज की प्रतिष्ठा पर गंभीर प्रभाव वाले ऐसे किसी भी संबंधित गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं।

3.14 कॉलेज के कंप्यूटरऔर अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की चोरी या दुरूपयोग

कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक संचार सुविधाओं, प्रणालियों और सेवाओं के रूप में, जिसमें कॉलेज की संपत्ति या सुविधाओं का अनधिकृत प्रवेश, उपयोग, छेड़छाड़ आदि शामिल है, कर्मचारियों / प्रोफेसरों आदि के निजी निवास, कार्यालय, कक्षाओं, कंप्यूटर नेटवर्क, और अन्य प्रतिबंधित सुविधाएं और हस्तक्षेप। दूसरों का काम दंडनीय है।

3.15 कॉलेज की किसी भी संपत्ति को नष्ट करने, कॉलेज परिसर में किसी की संपत्ति या दूसरों की संपत्ति को नष्ट करने के लिए।

3.16 किसी ऐसे व्यक्ति का वीडियो / ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाना, फोटो खींचना या किसी व्यक्ति का ऑडियो / वीडियो स्ट्रीमिंग करना, जहां व्यक्ति को उस ज्ञान और व्यक्त सहमति के बिना गोपनीयता की उचित अपेक्षा हो ।

3.17 उत्पीड़न के किसी भी रूप में लिप्त होना, जो एक ऐसे आचरण के रूप में परिभाषित किया गया है जो गंभीर और उद्देश्यपूर्ण है, एक ऐसा आचरण जो किसी व्यक्ति की जाति, रंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, नागरिकता, लिंग, धर्म, आयु, यौन अभिविन्यास के आधार पर प्रेरित होता है। लिंग, लिंग पहचान, वैवाहिक स्थिति, वंश,

शारीरिक या मानसिक विकलांगता, चिकित्सा स्थिति,

4. यदि किसी छात्र के खिलाफ आचार संहिता के संभावित उल्लंघन के लिए मामला है,तो एक उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी जो कथित उल्लंघन की जांच करेगी और तदनुसार उक्त छात्र के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई का सुझाव देगी। समिति कदाचार का पता लगाने के लिए छात्र के साथ बैठक कर सकती है और कदाचार की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित में से एक या अधिक अनुशासनात्मक कार्रवाई का सुझाव दे सकती है।

4.1 चेतावनी - यह बताना कि उक्त अपराधी छात्र की कार्रवाई संहिता का उल्लंघन है और कदाचार के किसी भी आगे के कार्यों के परिणामस्वरूप गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

4.2 निष्कर्ष निर्दिष्ट समय के लिए परिसर में विभिन्न सुविधाओं तक पहुँच और प्रतिबंध को सीमित करना।

4.3 संचार सेवा - यदि आवश्यक हो तो समय की निर्दिष्ट अवधि के लिए बढ़ाया जाना। हालांकि, किसी भी भविष्य के कदाचार के साथ - साथ किसी भी स्थिति का पालन करने में विफलता के साथ निलंबन या निष्कासन सहित गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।

4.4 विस्तार - कॉलेज से स्थायी रूप से एक छात्र निष्कासन। कॉलेज परिसर में प्रवेश करने या किसी भी छात्र से संबंधित गतिविधियों या परिसर के निवास आदि में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने का संकेत।

4.5 मौद्रिक पेंशन - मई में किसी विशेष समय अवधि के लिए छात्रवृत्ति / फैलोशिप का निलंबन या जब्ती भी शामिल है।

4.6 सारांश - एक छात्र को एक निश्चित अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है जो छात्र से संबंधित गतिविधियों, कक्षाओं, कार्यक्रमों आदि में भाग लेने पर रोक लगाएगा। इसके अलावा, छात्र को विभिन्न कॉलेज सुविधाओं का उपयोग करने से मना किया जाएगा जब तक कि प्रतियोगी प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त नहीं की जाती है। निलंबन, अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त दंड के साथ, संभावित बर्खास्तगी द्वारा भी पालन कर सकता है।

4.7 तीन साल की अवधि के लिए कॉलेज में प्रवेश के लिए फिर से अपात्रता, और

4.8 अध्ययन या काम किए गए पाठ्यक्रमों के लिए ग्रेड कार्ड या प्रमाण पत्र को वापस लेना

5. **अपील :** यदि उल्लिखित दंड में से किसी एक के लागू होने से अपराधी छात्र दुखी होता है, तो वह

निदेशक से अपील कर सकता है। निर्देशक निम्नलिखित में से एक पर निर्णय ले सकता है:

5.1 समिति की सिफारिश को स्वीकार करते है और समिति द्वारा सुझाई गई सजा को लागू करते हैं या किसी भी दंड को इस संहिता में निर्धारित किए गए अनुसार संशोधित या लागू करते हैं, जो कि सिद्ध कदाचार की गंभीरता के साथ सराहनीय हैं, या

5.2 पुर्नविचार के लिए समिति को वापस मामला देखें।

किसी भी मामले में निदेशक का निर्णय उन सभी मामलों में अंतिम और बाध्यकारी हैं जहां एक छात्र द्वारा संभावित कदाचार होता है।

6. अकादमिक अखंडता

एक संस्थान और उनके अनुसंधान मिशन की सफलता के लिए अकादमिक अखंडता आवश्यक है, और इसलिए इसका उल्लंघन एक गंभीर अपराध है। शैक्षणिक अखंडता पर नीति, सहिंता का एक अभिन्न अंग बनाती है जो उस संस्थान के सभी छात्रों पर लागू होती है, जिनका उन्हें पालन करना चाहिए। इन सिद्धांतों को बनाए रखने में विफलता संस्थान की प्रतिष्ठा और अपने छात्रों को प्रदान की गई डिग्री के मूल्य दोनों को खतरे में डालती है। संस्थान के प्रत्येक छात्र को शैक्षिक अखंडता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार महसूस करना चाहिए।

शैक्षणिक अखंडता के सिद्धांतों के लिए आवश्यक है कि एक छात्र चाहिए

I. दूसरों के विचारों, परिणामों, सामग्री या शब्दों के उपयोग को ठीक से स्वीकार और उद्धृत करता है।

II. किसी दिए गए कार्य के लिए सभी योगदानकर्ताओं को उचित रूप से स्वीकार करें।

III. सुनिश्चित करें कि एक पाठ्यक्रम में सभी असाइनमेंट उसकी / उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए है।

IV. अभेद्य सामग्री या सहयोग की सहायता के बिना शैक्षणिक गतिविधियों का प्रदर्शन करें नैतिक तरीकों से सभी देता या परिणाम प्राप्त करके और उसकी व्याख्या या निष्कर्ष के साथ असंगत किसी भी परिणाम को दबाने के बिना उन्हें सटीक रूप से रिपोर्ट करता है।

V. हस्तक्षेप के बिना अपने शैक्षिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का अधिकार है।

VI. इस नीति के उल्लंघन में शामिल हैं, लेकिन इन तक सिमिति नहीं हैं:

(ए) **साहित्यिक चोरी:** साहित्यिक चोरी का अर्थ हैं, मूल स्रोत को स्वीकार किए बिना, सामग्री,

विचार, आकड़े, कोड या डेटा का उपयोग। इसमें सामग्री को प्रस्तुत करना, शब्दश: या अप्रासंगिक होना शामिल हो सकता है, जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित या स्वयं द्वारा पहले प्रकाशित किया गया हो। साहित्यिक चोरी के उदाहरणों में शामिल है:

- किसी रिपोर्ट, पुस्तक, थीसिस, प्रकाशन या इंटरनेट से पूरे या आंशिक, पाठ / वाक्यों में पुनः प्रस्तुत करना।
- अपने स्वयं के पहले प्रकाशित डेटा, चित्र, या किसी और के डेटा, आदि का पुनः प्रस्तुत करना।
- क्लास-नोट्स से सामग्री लेना या इंटरनेट के ग्राफ़,ड्रॉइंग, फोटोग्राफ, डायग्राम, टेबल, स्प्रेडशीट, कंप्यूटर प्रोग्राम, या अन्य स्रोतों से अन्य गैर-पाठ्य सामग्री किसी की क्लास रिपोर्ट, प्रस्तुतियों, पांडुलिपियों, शोध पत्रों या थीसिस में शामिल करना उचित अटेंशन।
- स्व साहित्यिक चोरी जो किसी पत्रिका में पहले प्रकाशित कार्य या उचित उद्धरण के बिना सम्मलेन की कार्यवाही से शब्दशः कॉपी करने का गठन करती है।
- पाठ्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ख़रीदे गए या डाउनलोड किए गए टर्म पेपर या अन्य सामग्रियों को जमा करना।
- किसी लेखक के शब्दों या शैली को बिना उद्धरण के बदलना या बदलना।

7. **धोखा दे: धोखा देना शामिल है, लेकिन यह तक सीमित नहीं है:**

- परीक्षाओं के दौरान नकल, और होमवर्क असाइनमेंट, टर्म पेपर, थिसिस या पांडुलिपियों की नकल।
- नकल करना या सुविधा देना, या रिपोर्ट लिखना या किसी और के लिए परीक्षा लेना।
- अनधिकृत सामग्री का उपयोग करना, कॉपी करना, अधिकृत न होने पर सहयोग करना और विभिन्न स्रोतों से कागजात या सामग्री खरीदना या उधार लेना।
- डेटा बनाना (बनाना) या मिथ्याकरण (हेरफेर) डेटा और उन्हें थीसिस और प्रकाशनों में रिपोर्ट करना।
- स्रोत, या उद्धरण बनाना जो मौजूद नहीं हैं।

- पूर्व - मूल्यांकन का परिवर्तन करना और पुनर्मूल्यांकन के लिए कार्य को फिर से प्रस्तुत करना
- असाइनमेंट, रिपोर्ट, रिसर्च पेपर, थीसिस या अटेंडेंस शीट पर किसी अन्य छात्र के नाम पर हस्ताक्षर करना।

एक ऐसी स्थिति जिसमें सरकारी अधिकारी का निर्णय उसकी व्यक्तिगत रूचि से प्रभावित हो: पेशेवर गतिविधियों के साथ व्यक्तिगत या निजी हितों का टकराव, शिक्षण, अनुसंधान, प्रकाशन, समितियों पर काम करना, अनुसंधान निधि और परामर्श जैसी विविध गतिविधियों में रूचि के संभावित टकराव को जन्म दे सकता है। वास्तविक पेशेवर स्वतंत्रता निष्पक्षता और प्रतिबद्धता की रक्षा करना आवश्यक है, और ब्याज के टकराव से उत्पन्न होने वाली किसी भी असंगतता की उपस्थिति से बचने के लिए भी। ब्याज का संघर्ष व्यक्तिगत वित्तीय लाभ तक सीमित नहीं है; यह सहकर्मी की समीक्षा, विभिन्न समितियों में सेवारत, जो उदाहरण के लिए, धन की देखरेख या मान्यता देने के साथ-साथ सार्वजनिक निति को प्रभावित करता है, सहित पेशेवर शैक्षणिक गतिविधियों के एक बड़े सरगम तक फैली हुई है। पारदर्शिता को बढ़ावा देने और विश्वनीयता बढ़ाने के लिए, उपयुक्त अधिकारीयों को लिखित रूप में हितों के संभावित संघर्षो का खुलासा करना होगा, ताकि मामले के आधार पर विचार किया जा सके। कुछ अतिरिक्त जानकारी संसाधनों के साथ काम करने वाले अनुभाग में भी उपलब्ध है।

8. एंटी-रैगिंग

संस्थान के पास एक सुसंगत और प्रभावी रैगिंग नीति है, जो 'उच्च शिक्षा संस्थानों में २००९ के रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए युजीसी विनियमन (बाद में 'यूएएस विनियम' के रूप में जाना जाता है) पर आधारित है। यूजीसी विनियम भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी भारतीय शैक्षिक संस्थानों और कॉलेज में रैगिंग को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए जारी निर्देशों के मद्देनजर बनाए गए हैं। कहा गया है कि यूजीसी विनियम संस्था को म्यूटेटिस म्यूटेंडिस लागू करेगा।

रैगिंग निम्नलिखित कृत्यों में से एक या अधिक का गठन करती है:

- किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा किया गया कोई भी आचरण चाहे वह बोले या लिखे गए शब्दों से हो हो या किसी ऐसे कार्य से जिसमें किसी भी छात्र के साथ अशिष्टता के साथ छेड़छाड़, व्यवहार करना या उसे संभाल ने का प्रभाव हो;

- किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों में लिप्त होना, जो किसी अन्य छात्र में झुंझलाहट, कठिनाई, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक हानि या भय या आशंका पैदा करने का कारण बनता है;

- किसी भी छात्र को कोई भी कार्य करने के लिए कहना, जो ऐसे छात्र को सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं होगा और जिसमें शर्म, या पीड़ा या शर्मिंदगी की भावना पैदा करने या उत्पन्न करने का प्रभाव होता है, ताकि ऐसे छात्र के शरीर या मानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े;

- किसी भी वरिष्ठ छात्र द्वारा कोई भी कार्य जो किसी भी छात्र की नियमति शैक्षणिक गतिविधि को रोकता या बाधित करता है;

- एक व्यक्ति या छात्रों के एक समूह को सौंपे गए शैक्षणिक कार्यों को पूरा करने के लिए एक छात्र की सेवाओं का शोषण;

- किसी छात्र द्वारा अन्य छात्रों द्वारा लगाए गए वित्तीय जबरन वसूली या बलपूर्वक खर्च का कोई भी कार्य;

- शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य जिसमें इसके सभी प्रकार शामिल है: यौन शोषण, स्ट्रिपिंग, जबरन अश्लील और भद्दी हरकतें, इशारे, जिससे शारीरिक नुकसान हो या स्वास्थय या व्यक्ति को कोई अन्य खतरा हो:

- बोले गए शब्दों, ई-मेलों, पोस्टो, सार्वजनिक अपमानों द्वारा किसी भी कार्य या दुर्व्यवहार को शामिल किया जाएगा, जिसमें किसी अन्य छात्र को सक्रिय रूप से निष्क्रिय रूप से भाग लेने से विकृत खुशी, विकराल या दुखवादी रोमांच भी शामिल होगा;

- कोई भी कार्य जो किसी अन्य छात्र के ऊपर एक छात्र द्वारा दुखवादी सुख प्राप्त करने या शक्ति, अधिकार या श्रेष्ठता दिखाने के इरादे से या बिना किसी अन्य छात्र के मानसिक स्वास्थय और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है।

एंटी-रैगिंग कमेटी: एंटी-रैगिंग कमेटी एंटीरैगिंग की सभी शिकायतों की जाँच करेगी और घटना की प्रकृति के आधार पर सिफारिश लेकर आएगी।

एंटी-रैगिंग स्क्वाड: छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए, एक एंटी-रैगिंग स्क्वाड, जो एक छोटा निकाय है, का गठन भी परिसर समुदाय के विभिन्न सदस्यों को मिलाकर किया गया है। उक्त दस्ते समुदाय में होने वाली रैगिंग की घटनाओं पर निगरानी रखेंगे और गश्त के कार्य करेंगे। छात्र ध्यान दें कि स्क्वाड हर समय सक्रीय और सतर्क रहता है और संभावित रैगिंग के स्थानों का निरीक्षण करने के लिए सशक्त होता है, और कॉलेज में हॉस्टल और अन्य हॉटस्पॉट्स में भी आश्चर्यजनक छापेमारी करता है। दस्ते रैगिंग की घटनाओं की भी जाँच कर सकते है और एंटी-रैगिंग कमेटी को सिफारिश कर सकते है और एंटी-रैगिंग कमेटी के मार्गदर्शन में काम करेंगे।

समिति द्वारा दोषी पाया गया एक छात्र एंटी-रैगिंग द्वारा लगाए गए निम्न दंडो में से एक या अधिक को आकर्षित करेगा:

- उपस्थित कक्षाओं और शैक्षणिक विशेषाधिकारों से निलंबन। छात्रवृत्ति / फैलोशिप और अन्य लाभों को वापस लेने / वापस लेने से।
- किसी भी परीक्षा / परीक्षा या अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से रोकना। परिणाम रोकना।
- किसी भी सहयोगी कार्य को शुरू करने या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों / संगोष्ठी / बैठक में भाग लेने से अपने शोध कार्य को प्रस्तुत करने से प्रवेश रद्द।
- संस्था से निष्कासन और परिणामस्वरूप किसी अन्य संस्था में प्रवेश से किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए डिबार करना।
- ऐसे मामलों में जहां रैगिंग के कार्य को करने वाले या घृणा करने वाले या व्यक्तियों की पहचान नहीं की जाती है, कॉलेज सामूहिक दंड का सहारा लेंगे।
- जरुरत पड़ने पर,रैगिंग की कार्रवाई की तीव्रता को देखते हुए, कॉलेज द्वारा स्थानीय पुलिस अधिकारीयों के साथ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दायर की जाएगी। कॉलेज की एंटी-रैगिंग कमेटी उचित निर्णय लेगी, जिसमें रैगिंग की घटना के प्रत्येक घटना के तथ्यों और परस्थितियों और रैगिंग की प्रकृति और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर सजा का प्रावधान शामिल है।

9. **लिंग भेदभाव और संबद्ध उत्पीड़न:**

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निषेध पर संस्थान का रुख कॉलेज के छात्रों के लिए उत्परिवर्ती म्यूटेंडिस लागू करेगा जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार पहुँचा जा सकता है और उनकी समीक्षा कर सकता है। छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि यौन दुराचार या उत्पीड़न आचरण की एक सीमा को समाहित करता है, जिसमें यौन हमला, अवांछित स्पर्श या लगातार अवांछित टिप्पणी, ई-मेल या अपमानजनक या अपमानजनक यौन प्रकृति के चित्र, जो उत्पीड़न का कारण बन सकता है, तक सिमित नही है। प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेग।

प्राचार्य के लिए आचार संहिता

एक कॉलेज के प्रधानाचार्य की कुर्सी को एक संरक्षक, संरक्षक, पर्यवेक्षक, प्रशासक, सहायक, संरक्षक, निरीक्षक और और इतने पर होने वाली बहुपक्षीय जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बहुपक्षीय भूमिका निभानी पड़ती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) और मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोजन (यूजीसी) द्वारा घोषित के रूप में संसथान के शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रमुख अपने आचरण में नैतिकता के कुछ कोड का पालन करने के लिए उत्तरदायी रहते हैं। झारखण्ड सर्कार द्वारा लागु झारखण्ड विश्वविधालय अधिनियम 2000 की सेवा नियमावली के अनुसार लागू किए गए पर्चों के सेट ये आचार संहिता लागू हैं, सामान्य तौर पर,कॉलेज के शिक्षकों के साथ-साथ किसी भी संगठन के प्रशासक के लिए लागू होते हैं।

1. संस्था में शिक्षा प्रदान करने के सन्दर्भ में समावेशिता की नैतिकता को बनाए रखना और उसका पालन करना।
2. संस्था के विभिन्न वर्गों के सामूहिक हिट की रक्षा करना ताकि प्रत्येक और सभी स्वतंत्र रूप से

प्रदर्शन कर सकें और संस्थान निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च दे सकें।

3. कॉलेज, कॉलेज में सभी हितधारकों के साथ सामान व्यवहार करते हुए पोषण करना और लागू करना ताकि कॉलेज के खिंचाव के भीतर किसी भी स्तर पर किसी भी तरह के भेदभाव और असमान अभ्यास की गुंजाइश न रहे।

4. भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर सभी जाती, पंथ, नस्ल, लिंग, या धार्मिक पहचान के बावजूद सभी हितधारकों के लिए सामाजिक न्याय के सार को बनाए रखने और बनाए रखने के लिए।

5. कॉलेज की परिधि के भीतर एक निष्पक्ष लिंग-मुक्त वातावरण बनाने और बनाए रखने के लिए ताकि सभी हितधारक समान अवसरों का आनंद लें।

6. कॉलेज के सभी हितधारकों के बीच आवश्यक सतर्कता उत्पन्न करने और बनाए रखने के लिए ताकि यौन उत्पीड़न की घटनाओं की संभावना कम से कम हो और अंततः मिट जाए। (कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न: रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, २०१३ कॉलेज परिसर की सीमा के भीतर यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों का निवारण प्रदान करेगा।)

7. महाविद्यालय के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े मानव संसाधनों के सभी वर्गों के भीतर कल्याण की भावना को शुरू करने और प्रचार करने के लिए और इसलिए उनके बीच आपसी विश्वास का निर्माण करना।

8. कॉलेज में अकादमिक गतिविधियों को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए पहले से ही खोजे गए सभी संभावित रास्ते में और इस तरह से अकादमिक खोज के लिए नए रास्ते की खोज को प्रोत्साहित करें।

9. अनुसंधान उन्मुख शैक्षणिक पार्ले के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए और इस प्रकार संस्थान में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान पूल में आगे बढ़ाना।

10. संस्थान के सभी हितधारकों के व्यवहार अभिव्यक्ति में अनुशासन बनाए रखने और अनुशासन लागू करने के लिए और इस प्रकार शिक्षाविदों के लिए आवश्यक परिसर-शांति बनाए रखें।

11. छात्रों और संस्था के अन्य मानव संसाधनों के बीच पाठ्येतर गतिविधियों के अभ्यास को

बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए और इस प्रकार यह सामाजिक-गतिशीलता को सार-से-जीवन में जोड़ता हैं।

12. कॉलेज के आसपास के क्षेत्र की शांति के लिए प्रयास करना ताकि अकादमिक प्रथाओं में क्रमिक व्यापकता आए और अंततः प्रबल हो।

13. संस्थान के सभी छात्रों के उत्कर्ष और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए निकटवर्ती समाज के साथ कॉलेज के सामंजस्यपूर्ण संबंधो को बढ़ावा देना और बनाए रखना।

14. संस्था के सभी हितधारकों के दृष्टिकोण की जीवंतता बनाए रखने के लिए प्रयास करने और इस प्रकार उनकी क्षमताओं को पोषण और बढ़ाने के लिए।

संस्था के अकादमिक प्रमुख के रूप में, प्राचार्य को कॉलेज के भीतर एक शैक्षणिक माहौल का अस्तित्व सुनिश्चित करना चाहिए और अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करके इसके संवर्धन के लिए प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार, प्राचार्य को कॉलेज के लिए प्रयाप्त अवसंरचनात्मक और वित्तीय सहायता लाने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए। प्रधानाचार्य को संस्थान के संकाय सदस्यों को अनुसंधान परियोजनाएं लेने, शोध पत्र प्रकशित करने, नियमति सेमिनारों की व्यवस्था करने और सम्मलेन /संगोष्ठी / कार्यशाला / सेमिनारों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

शिक्षकों के लिए, आचार संहिता

पी० के० रॉय मेमोरियल कॉलेज के शिक्षकों को झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 में निर्धारित आचार संहिता का पालन करना चाहिए।

इसके अलावा, वे कॉलेज के शिक्षकों के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अधीन भी हैं। यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, जो कोई भी पेशे के रूप में शिक्षण को अपनाता हैं,वह पेशे के आदर्शो के अनुसार खुद को संचालित करने के दायित्व को स्वीकार करता हैं। एक शिक्षक लगातार अपने छात्रों और बड़े पैमाने पर समाज की जांच कर रहा है। इसलिए, प्रत्येक शिक्षक को यह देखना चाहिए कि उसकी प्रस्तावना और अभ्यास के बीच कोई असंगति नहीं है। शिक्षा के राष्ट्रीय आदर्शों के अपने आदर्श होने चाहिए।

कोड के अन्तर्निहित मूल नैतिक मूल्य देखभाल, विश्वास, अखंडता और सम्मान है; शिक्षक के लिए प्रासंगिक उन पहलुओं को अपनाना,जिन्हें सामाजिक जिम्मेदारी सौपी जाती है। इस संस्था के लिए एक निश्चित कोड निम्नलिखित शामिल है:

(ए) पेशेवर मूल्य

I. छात्रों के हितों से संबंधित और प्रतिबद्ध होना सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है

शिक्षण पेशा शिक्षित करना है यह रवैया प्रत्येक छात्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। उसे कर्तव्यनिष्ठ और समर्पित होना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो किसी भी पारिश्रमिक को स्वीकार किए बिना कक्षा के घंटों से परे छात्रों की मदद करनी चाहिए।

II. वह किसी भी छात्र को अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने से नहीं रोक सकता है, हालांकि यह इससे भिन्न हो सकता है

उसका अपना। इसके विपरीत, छात्र को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अन्य बातों के अलावा, एक शिक्षक को रचनात्मक आलोचना स्वीकार करनी चाहिए।

III. उसे शैक्षणिक वातावरण विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। बराबर इलाज मिलना चाहिए जाती, पंथ, धर्म, लिंग या सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बावजूद सभी छात्रों के लिए। उनमें से किसी के प्रति भी पक्षपात या प्रतिशोधात्मक रवैया नहीं होना चाहिए।

IV. उनका उद्देश्य छात्रों को अधिक रूचि उत्पन्न करने और उनकी भावना विकसित करने के लिए प्रेरित करना होना चाहिए

ज्ञान की खोज में जांच।

V. शिक्षक को अपने छात्रों के बीच वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण स्थापित करना चाहिए

उन्हें समुदाय उन्मुख, देशभक्त और व्यापक दिमाग वाला माना जाता है। यह उसकी सामाजिक जिम्मेदारी का एक हिस्सा है।

VI. उपरोक्त सभी शिक्षक को अपने पेशे के लोकाचार के अनुरूप होना चाहिए और एक सम्मानजनक कार्य करना चाहिए

तौर तरीका। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि समाज ने उसे अपने बच्चों को सौंपा है।

(बी) व्यावसायिक विकास और अभ्यास

I. यह माना जा सकता है कि सिखने का कोई अंत नहीं है। यह जरुरी है कि एक शिक्षक लगातार खुद को और छात्र समुदाय को अपग्रेड करने के लिए अपने क्षेत्र और अन्य संबंधित

लोगों में खुद को अपडेट करता है। उसे हाल की कार्यप्रणाली और अन्य अनुप्रयोगों से भी परिचित होना चाहिए।

II. एक शिक्षक को शिक्षण के साथ-साथ शोध को आगे भी बढ़ाना चाहिए, क्योकि नवाचार में योगदान होता है किसी विषय की निरंतर प्रगति और विकास। उन्हें स्वयं को सेमिनार और कार्यशालाओं में शामिल करना चाहिए, जहां अकादमिक विषयों का आदान-प्रदान होता है। एक कैरियर के लंबे व्यावसायिक विकास इसलिए एक आवश्यकता है।

III. नई शिक्षण रणनीतियों और पाठ्यक्रम को विकसित करने के साथ-साथ एक उन्नत शैक्षणिक प्रणाली की योजना बनाना उनके पेशेवर कर्तव्यों का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।

IV. शिक्षक को संस्थान की शैक्षणिक जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा प्रवेश, कॉलेज सेमिनार और इतने पर। उन्हें खेल, विस्तार गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रूप में कॉलेज की पाठ्येतर गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। यह छात्रों के साथ समग्र विकास और जन्मजात संबंध उत्पन्न करेगा।

(C) व्यावसायिक वफ़ादारी

I. शिक्षकों को पेशेवर अभ्यास में नैतिक व्यवहार को सही ढंग से बनाए रखना चाहिए प्रमाणपत्र, लाइसेंस और अन्य योग्यता का प्रतिनिधित्व करना

II. शोध में ईमानदारी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। साहित्यिक चोरी एक बुराई है जो नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर स्वीकार किया गया। उद्देश्य अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए।

III. पेशेवर कार्य और निजी अभ्यास के बीच कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। निजी ट्यूशन से बचना चाहिए क्योंकी वे कॉलेज शिक्षण की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

IV. शिक्षक को परीक्षा मामलों के संबंध में सभी सूचनाओं की गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए जब तक कानूनी रूप से मांग नहीं की जाती है, तब तक सहकर्मियों और छात्रों के साथ व्यवहार करना।

(घ) व्यावसायिक सहयोग

I. शिक्षकों को अपने सहयोगियों के प्रति सम्मानजनक और सहयोगी होना चाहिए, उनकी

सहायता करना और सहयोगात्मक तरीके से जिम्मेदारियों को साझा करना चाहिए।

II. शिक्षकों को अपने सहकर्मियों पर निराधार आरोप लगाने से बचना चाहिए निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए।

III. शिक्षकों को स्थापित नियमों के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए उच्च अधिकारीयों द्वारा उल्लिखित और अनुबंध की शर्तों का पालन करना।

IV. शिक्षकों को इन के रूप में अनावश्यक राजनितिक प्रेरणाओं का जवाब देने से बचना चाहिए एक शैक्षणिक संस्थान की पवित्रता और सुचारु प्रगति को बर्बाद करना। यह इसलिए है क्योकिं संस्थान एक संवेदनशील सीमा क्षेत्र में स्थित है।

V. शिक्षकों को गैर-शिक्षण कर्मचारियों के समान सम्मान और उपचार देना चाहिए अपने साथी शिक्षकों के लिए करते हैं। कॉलेज के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले संस्थान को सयुंक्त बैठक करनी चाहिए।

VI. छात्रों के अभिभावकों के साथ नियमति बातचीत होनी चाहिए छात्रों और संस्थान के सुधर के लिए आवश्यक हैं।

VII. काम दुरी तय करने के बावजूद, शिक्षकों को अनावश्यक रूप से लेने से बचना चाहिए कॉलेज के सुचारु कामकाज के लिए नियमितता को छोड़े और बनाए रखें।

सहायक कर्मचारियों के लिए आचार संहिता

झारखण्ड सरकार के कर्मचारी होने के नाते, इस कॉलेज के सभी सहायक कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करना चाहिए। कॉलेज ने निम्नलिखित पंक्तियों के साथ सहायक कर्मचारियों के लिए अपनी आचार संहिता को आगे रखा है।

पेशेवर आचरण

I. सहायक कर्मचारियों को कॉलेज की नीतियों से परिचित होना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए उनकी सबसे अच्छी क्षमता के लिए।

II. उनमें से प्रत्येक को उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए जिन्हें वह ईमानदारी और लगन से सौंपा गया जवाबदेही के साथ।

III. उन्हें पूर्व सूचना के साथ संभव सीमा तक छुट्टी का लाभ उठाना चहिए। अचानक मामले में आकस्मिकता, उनकी अनुपस्थिति की जानकारी तुरंत कॉलेज प्राधिकरण को भेज दी जानी चाहिए।

IV. सहायक कर्मचारी को किसी भी खाते में, निर्धारित अवधि के भीतर कोई अन्य कार्य नहीं करना चाहिए कार्यालय अवधि न तो वह कॉलेज परिसर के भीतर किसी भी व्यापार या व्यवसाय में खुद को व्यस्त रखेगा।

V. उन्हें राजनितिक में खुद को उलझाकर कॉलेज के कामकाज में बाधा नहीं डालनी चाहिए या असामाजिक गतिविधियों।

VI. उन्हें टिप्पणी या व्यवहार में संलग्न नहीं होना चाहिए जिसे अपमानजनक माना जा सकता है उनके गैर-शिक्षण सहयोगी, शिक्षण कर्मचारी या छात्र। ।

कार्यस्थल का संचालन

I. उन्हें समय का पाबंद होना चाहिए क्योंकि कॉलेज की गतिविधियों के प्रारंभ और सुचारु संचालन के लिए उनकी पूर्व उपस्थिति की आवश्यकता प्रतिदिन होती है ।

II. उन्हें कॉलेज के उपकरणों और फर्नीचर के उचित उपयोग और रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए।

III. कोई भी सहायक कर्मचारी कार्यालय समय के दौरान दवाओं या शराब के प्रभाव में नहीं होना चाहिए।

IV. सहायक कर्मचारी अक्सर आधिकारिक रिकॉर्ड के माध्यम से परीक्षा मामलों और अन्य कर्मचारियों से संबंधित अन्य मामलों के बारे में गोपनीय जानकारी तक पहुंच पाते है। यह उम्मीद की जाती है कि वे ऐसे मामलों की गोपनीयता का सम्मान करते हैं।

V. उन्हें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। उन्हें सौंपे गए आधिकारिक दस्तावेजों का कोई मिथ्याकरण नहीं होना चाहिए।

VI. सहायक कर्मचारियों को लिंग, जाती या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं दिखाना चाहिए।

व्यावसायिक संबंध

I. समर्थन स्टाफ और छात्रों के बीच बातचीत काउंसलिंग, प्रवेश वित्तीय सहायता के संवितरण, परीक्षाओं आदि के दौरान अक्सर उदाहरण के लिए होती है। एक नियमित आधार पर छात्र पुस्तकालयों, विज्ञान प्रयोगशालाओं और कंप्यूटर प्रयोगशालाओं में सहायक कर्मचारियों के संपर्क में आते है। यह अपेक्षा की जाती है कि वे छात्रों के प्रति सहायक, मैत्रीपूर्ण और धैर्यपूर्ण व्यवहार करें।

II. कॉलेज के अधिकारीयों द्वारा किए निर्णयों के लिए सहायक कर्मचारियों को उचित सम्मान देना चाहिए। विवाद के किसी भी मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं सुलझाया जाना चाहिए और विरोधी व्यवहार के माध्यम से नहीं होना चाहिए, क्योकिं एक संस्था की प्रगति आपसी सद्भाव और विश्वास पर निर्भर करती है।

III. गैर-शिक्षण कर्मचारियों को शिक्षण कर्मचारियों को उनके सहकर्मी के रूप में मानना चाहिए न कि अलग-अलग संस्थाओं के रूप में। यह साझा कार्य है जो एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण उत्पन्न करेगा।

IV. सहायक कर्मचारी परीक्षा के दौरान छात्रों के अभिभावकों के संपर्क में आने वाले पहले व्यक्ति है। उन्हें इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि उनके व्यवहार को संस्था का प्रतिबिंब माना जाएगा। इस प्रकार उन्हें धैर्यपूर्वक और विनम्रता से बातचीत करनी चाहिए।

PRINCIPAL
P.K. ROY MEMORIAL COLLEGE
DHANBAD